–**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898**

In the court of **श्रीमती अंकिता शाही**, Magistrate **न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी** Class **देपालपुर, इन्दौर**

Case No. 123 of 2020 Complaint or report made on. --------------------

Name and address of the complaint म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र देपालपुर

Name, parentage, caste and address of accused

1. विजय पिता कनीराम, उम्र– 22 साल, निवासी– ग्राम खजराया, देपालपुर
2. मनीष पिता लखन पटेल, उम्र– 24साल, निवासी– ग्राम खजराया, देपालपुर
3. संतोष पिता कमल मेवाड़ा, उम्र– 20 साल, निवासी– ग्राम खजराया, देपालपुर

The offence complained of, and date of, its alleged commission

यह कि आप **दिनांक 06.02.20 को 16:05 बजे के लगभग स्थान शांतिविहार कॉलोनी मैदान के पास, देपालपुर जिला इंदौर** पर ताश के पत्तों से रूपये पैसों की हार जीत का जुंआ खेलते हुए पाये गये । ऐसा करके आपने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया।

Ankita

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
देपालपुर इन्दौर म0प्र0

The plea of the accused and his examination (if any)-

हॉ, मुझे अपराध स्वीकार है कि मैंने ताश के पत्तों से रूपये पैसों की हार जीत का जुंआ खेला।

हमें अपराध स्वीकार है।

Vijay मनीष

निजे हस्ताक्षर

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
देपालपुर इन्दौर म0प्र0

The offence proved, if any, and in case under clause, (d) Clause (e) Clause (f) pt clause (g), of Sub- section (I) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has beencommitted.

Scanned by CamScanner

// निर्णय //

(दिनांक 04.03.2020 को घोषित)

1. अभियुक्त/गण पर सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा 13 अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप है।

2. अभियुक्त/गण को अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया ।

3. अभिलेख के अवलोकन से भी अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध करना प्रकट होता है।

4. तदनुसार अपराध की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त/गण को सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया जाकर उसे रूपये 100–100/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

5. अर्थदण्ड जमा न करने पर अभियुक्त/गण को 15 दिवस का साधारण कारवास भुगताया जावे।

6. प्रकरण मे जप्तशुदा सम्पत्ति ताश के पत्ते मूल्यहीन होने से नष्ट की जाये । जप्तशुदा **रूपये 2155 रूपए** राजसात कर विधिवत शासकीय कोषालय मे जमा किये जावें ।

देपालपुर, इन्दौर म0प्र0
दिनांक– 04.03.2020

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
इन्दौर म0प्र0

Scanned by CamScanner